(3)10/17

राज्य द्वारा एडीपीओ।
अमियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री मुकेश कुशवाह।
प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।
फरियादी एवं आहत सतीश, आशा, मंजू व रामबेटी उपस्थित।
फरियादी एवं आहत सतीश, आशा, मंजू व रामबेटी उपस्थित।
उमय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में
रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उमय पक्षों के मध्य विवाद का
एर्क
स्म से निराकरण होना संमव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक

उपयुक्त प्रकरण है। उमयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षत मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अत मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उमय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को मेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल ज भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

उमयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ व समक्ष आज दिनांक 13.10.17 को 12 बजे स्वतः उप० रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 30,10.17 को भीड़ियेशन कार्यवाही के प्रतिवैदन की प्रस्तुती हेतु ,पेश हो।

(A.K. Authra) 31/411
Judicial Magistrate First Gluss with
Gohad disit Bhind (Md2)

म्नश्य

उमयपक्ष पूर्ववत।

(प्रकरण में मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी सतीश, आशा, मंजू व रामबेटी ने एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320, द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी एवं आहत के हरताक्षर छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं आहत की पहचान अधिवक्ता श्री डी०आर० वंसल एवं असियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री मुकेश कुशवाह द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोग-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

20/2/22

Brogne H Ist

3/12/1

(30843 CINA2)

0721

Frys LEGATEY

Grant Had mark

Order Sheet [Contd]

in an arm case No. 15011. J. of 20.

one of Order or receding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

अभियुक्तगण पर मा०द०वि० की धारा 294, 323/34, एवं 506 भाग—दो के अधीन दण्डनीय अपराध में अभियोगपत्र पेश किया है जो कि शमनीय हैं। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तराण को धारा 294, 323/34, एवं 506 भाग—दो भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रमाव अभियुक्तराण की दोषमुक्ति होगा।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं। आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

Judicial Magistrate First Charles distributed (M.B.)

311211

Per on winds

O NOL

Frograce 19 g-lentited wyng (Mer)